ईएसजी नीति

(26 मार्च 2025 को संशोधित)

आईडीबीआई बैंक लि.
मुंबई

विषय-सूची

1) आईडीबीआई बैंक के बारे में 1

2) ईएसजी नीति का उद्देश्य 1

3) ईएसजी नीति का कार्यान्वयन 1

4) ईएसजी नीति का अन्वेक्षण 2

5) ईएसजी नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र 2

5.1 नैतिक व्यवसाय प्रथाएँ 2

5.2 कॉरपोरेट अभिशासन 2

5.3 उधार गतिविधियाँ 3

5.4 धारणीय और सुरक्षित संचालन 4

5.5 कर्मचारी 5

5.6 हितधारक समावेशिता 6

5.7 ग्राहक 6

5.8 पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन 7

5.9 विक्रेता/ सेवा प्रदाता 7

5.10 सार्वजनिक वकालत 8

5.11 सामुदायिक विकास 8

5.12 साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा 8

6) ईएसजी नीति की समीक्षा 8

IDBI BANK

ईएसजी नीति

1) आईडीबीआई बैंक के बारे में

1.1 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक वाणिज्यिक बैंक है जो बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित करता है. अपनी पूर्ववर्ती संस्था अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक - शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) से समृद्ध विरासत प्राप्त करते हुए, बैंक अपने विविध प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में एक प्रतिबद्ध भागीदार है. इसी भावना से, बैंक ने पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) की नीति अपनाई है, जो देश में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय एजेंडे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

2) ईएसजी नीति का उद्देश्य

2.1 ईएसजी नीति का उद्देश्य आईडीबीआई बैंक के समग्र कारोबार एवं परिचालन उद्देश्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ईएसजी मानकों/ सिद्धांतों के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिदेशों और भारत द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक वैश्विक पर्यावरण, सामाजिक, श्रम और जैव विविधता सम्मेलनों के साथ तालमेल स्थापित करना है. बैंक अपने रणनीतिक कारोबारी उद्देश्यों को इस नीति में उल्लिखित अपने प्रमुख फोकस क्षेत्रों के साथ ईएसजी सिद्धांतों के साथ सुमेलित करने का प्रयास करता है. बैंक की ईएसजी नीति लागू राष्ट्रीय विधि/नियमों के अनुरूप तैयार की गई है और इसका उद्देश्य अपनी गतिविधियों के माध्यम से बैंक को ईएसजी-अनुपालक इकाई के रूप में स्थापित करना है.

3) ईएसजी नीति का कार्यान्वयन

3.1 ईएसजी नीति का उद्देश्य बैंक की कारोबारी गतिविधियों के मार्गदर्शन हेतु एक व्यापक ढाँचा प्रदान करना है. नीति में चिन्हित फोकस क्षेत्रों के आधार पर, बैंक अपनी कारोबारी रणनीति, उत्पाद/ सेवा श्रंखलाओं, नीतियों, परिचालनों आदि जैसे विविध क्षेत्रों में ईएसजी आयामों को एकीकृत करने का प्रयास करेगा. यह नीति संसाधन आवंटन, क्षमता निर्माण, कार्यनिष्पादन की निगरानी के माध्यम से ईएसजी के संरचित कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी और ईएसजी मापदंडों के तहत बैंक के निष्पादन को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार को लागू करेगी.

3.2 ईएसजी नीति को बैंक की अन्य नीतियों/ दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो यहाँ परिभाषित फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले लक्ष्यों को पूरा करती हैं. बैंक की ईएसजी नीति इसके हितधारकों को इंट्रानेट के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसके दैनिक कार्यों में ईएसजी सिद्धांतों के सार्थक कार्यान्वयन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिले.

4) <u>ईएसजी नीति का अन्वेक्षण</u>

4.1 ईएसजी नीति के संरचित कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, बोर्ड की सीएसआर और ईएसजी समिति ईएसजी पहलों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी. बैंक की सीएसआर, ईएसजी और प्रचार की प्रबंधन समिति, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, बैंक के ईएसजी एजेंडे को अतिरिक्त गति प्रदान करने के लिए समय-समय पर घोषित उद्देश्यों के तहत कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी.

5) <u>ईएसजी नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र</u>

आईडीबीआई बैंक ने अपनी ईएसजी नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्रों को प्रासंगिकता मूल्यांकन और अपनी रणनीति प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित किया है. ये फोकस क्षेत्र तेजी से बदलते कारोबारी परिवेश और उभरती हितधारक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पुनरीक्षण के अधीन हैं.

5.1 <u>नैतिक व्यवसाय प्रथाएँ</u>

5.1.1 बैंक नैतिक और वैध कारोबारी आचरण को प्राथमिकता देता है. बैंक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में विश्वास करता है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी अनैतिक या अवैध कारोबारी प्रथाओं का समर्थन नहीं करता है. बैंक अपने कारोबारी परिचालनों के लिए किसी भी हितधारक की किसी भी जानकारी, सामग्री, बौद्धिक संपदा या गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं करता है. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका कोई भी परिचालन किसी भी अन्य पक्ष द्वारा उत्तरदायी कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के सिद्धांतों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराएगा.

5.2 <u>कॉरपोरेट अभिशासन</u>

5.2.1 बैंक का कॉरपोरेट अभिशासन ढाँचा भारत सरकार और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों की लागू नीति/ विनियामक निर्देशों के अनुरूप है. बैंक का निदेशक मंडल प्रभावी निगरानी प्रदान

करेगा और विवेकपूर्ण आर्थिक कार्यनिष्पादन के लिए रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी संस्कृति को बनाए रखेगा. बैंक नैतिकता, कॉरपोरेट अभिशासन और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा. बैंक सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने और बनाए रखने की दिशा में निरंतर कार्य करेगा.

5.2.2 बैंक सभी लागू कानूनों के अनुपालन में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष, एकरूप और सार्वभौमिक प्रकटीकरण और प्रसार के लिए भी प्रतिबद्ध है. तदनुसार, अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता और प्रक्रियाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि बाजार में मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाली वारदातों और घटनाओं का प्रकटीकरण विश्वसनीय और ठोस जानकारी के अस्तित्व में आने से पहले ही किया जाए ताकि ऐसी जानकारी सर्वत्र उपलब्ध हो सके.

5.3 <u>उधार गतिविधियाँ</u>

5.3.1 बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो, विशेष रूप से कॉरपोरेट पोर्टफोलियो में, पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह मिले. बैंक अपनी ऋण गतिविधियों के माध्यम से, व्यक्तियों/ संस्थाओं को ऋण तक निष्पक्ष और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ताकि समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा मिले. बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अपनी ऋण गतिविधियाँ लागू भारतीय कानूनों और विनियमों के साथ-साथ भारत द्वारा अनुमोदित किसी भी बहुपक्षीय पर्यावरणीय, सामाजिक और जैव विविधता समझौतों और/ या सम्मेलनों के अनुरूप हों. यथासंभव, बैंक उन गतिविधियों को ऋण देने से परहेज करेगा जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, मानव या पशु अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अवैध मानी जाती हैं. बैंक समय रहते उन निषिद्ध गतिविधियों की एक व्यापक सूची तैयार करने का प्रस्ताव करता है जो पर्यावरण और समाज के लिए हानिकारक हैं और निषिद्ध सूची में शामिल परियोजनाओं को वित्तपोषित करने से बचेगा.

5.3.2 बैंक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अपने ऋण निर्णयों में सामाजिक-आर्थिक विचारों और पर्यावरणीय प्रभाव के तत्वों को शामिल करेगा. ईएसजी-संबंधी जोखिमों के प्रति अपने एक्सपोजर को सीमित करने के लिए, बैंक अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी कारकों को एकीकृत

करने का प्रयास करेगा. इस दिशा में, बैंक ईएसजी के दृष्टिकोण से उधारकर्ताओं की सम्यक आकलन, मूल्यांकन और रैंकिंग के मानदंड निर्धारित करेगा. बैंक नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता आदि जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का समर्थन करने का प्रयास करेगा जो स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं. बैंक अपने जोखिम प्लेटफ़ॉर्म में, जहाँ लागू हो, ईएसजी और जलवायु-संबंधी कारकों पर भी विचार करने का प्रयास करेगा. बैंक आने वाले वर्षों में एक विस्तृत पोर्टफोलियो जोखिम मूल्यांकन करने और अपने ईएसजी-आधारित ऋण को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है.

5.4 <u>धारणीय और सुरक्षित संचालन</u>

5.4.1 बैंक अपने सभी परिचालनों में स्थायी उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उसके परिचालनों का पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े. बैंक स्थायी स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देकर अपने भौतिक परिसर को 'हरित' बनाने का भी प्रयास करेगा. बैंक अपने कर्मचारियों के बीच प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके उत्पादों और सेवाओं के सतत उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगा.

5.4.2 बैंक अपने परिचालनों में निम्न-कार्बन रणनीतियों, प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अपनाकर निम्न-कार्बन और संसाधन-कुशल अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अतिरिक्त, बैंक प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार हेतु अपने कार्यनिष्पादन की नियमित निगरानी करेगा.

5.4.3 बैंक स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं सहित ऐसे व्यावसायिक साझेदारों/सहयोगियों के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, जो अपने परिचालनों में जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाते हैं और स्थायी सेवाएँ प्रदान करते हैं.

5.4.4 बैंक के लिए अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है. अपने परिसर में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के अलावा, बैंक अपने सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा, श्रमदक्षता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है. बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा नियोजित विक्रेता/ सेवा प्रदाता भी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को उचित महत्व दें.

5.5 कर्मचारी

5.5.1 बैंक लागू वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना जारी रखेगा. समान अवसर और विविधता पर बैंक की नीति संगठन में विविधता और समावेशन के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है. बैंक कर्मचारियों के कौशल विकास को बढ़ाने और अनुपालन एवं नैतिकता की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए शिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करना जारी रखेगा. बैंक कर्मचारियों के समग्र विकास और इष्टतम कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक कर्मचारी कल्याण लाभ, अर्थात वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रदान करना जारी रखेगा. बैंक कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण, उचित स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा लाभ प्रदान करना जारी रखेगा. बैंक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के तहत कानूनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में आंतरिक समितियों का गठन किया है. बैंक मानता है कि अनुकूल कार्य वातावरण के लिए उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थल आवश्यक है. बैंक की नीतियाँ और प्रणालियाँ ऐसी घटनाओं को रोकने और उनका उचित समाधान करने के लिए तैयार की गई हैं. बैंक की आचार संहिता/ आचरण नियम, कर्मचारियों को नैतिक आचरण बनाए रखते हुए, बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए व्यावसायिकता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

5.5.2 बैंक कर्मचारियों के सुझावों का स्वागत करता है और सभी कर्मचारियों से प्रलक्षित और ईमानदार प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है. बैंक के पास कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी है. बैंक अपने कर्मचारियों के बीच अनुपालन, सत्यनिष्ठा और नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखेगा.

5.5.3 ईएसजी-संबंधी वैधानिक और विनियामक मानदंडों के अनुपालन के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए और एक ईएसजी-जागरूक संस्था के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक अपने कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगा. इस उद्देश्य से, बैंक ईएसजी-केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करने और ईएसजी-संबंधी मामलों के कार्यान्वयन में सहायता के लिए अपने कर्मचारियों के बीच क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने का भी प्रयास करेगा.

5.6 हितधारक समावेशिता

5.6.1 बैंक अपने हितधारकों के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करने और बनाए रखने में विश्वास रखता है और मानता है कि घनिष्ठ संचार उसके हितधारकों के लिए मूल्य सृजन की कुंजी है. इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक ने संबंधित हितधारकों की पहचान करने, उनकी अपेक्षाओं को समझने और उनकी चिंताओं का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत तरीके से समाधान करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं. बैंक अपने प्रमुख महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने और अपनी कारोबारी रणनीति विकसित करने में हितधारकों की राय भी शामिल करता है.

5.6.2 बैंक विनियामक और सांविधिक प्राधिकरणों, निवेशकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं और समुदायों के साथ खुले और पारदर्शी संचार को बढ़ावा देकर अपने हितधारकों के साथ सहयोगात्मक और भरोसेमंद संबंध बनाने और बनाए रखने का प्रयास करेगा.

5.6.3 बैंक अपने संबंधित हितधारकों के साथ वार्षिक आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा और प्रकट करने का प्रयास करेगा और अपने सभी हितधारकों तक पहुँचने के लिए विभिन्न डिजिटल और अन्य प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर परिणामों, भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करेगा. बैंक सांविधिक और स्वैच्छिक रिपोर्टिंग के संयोजन के माध्यम से ईएसजी/ गैर-वित्तीय प्रकटीकरणों पर अपने प्रकटीकरण को बढ़ाने का भी प्रयास करेगा.

5.6.4 बैंक ने अपने हितधारकों को बैंक में होने वाली किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं को उचित कार्रवाई हेतु रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित तंत्र प्रदान किया है.

5.7 ग्राहक

5.7.1 बैंक अपने ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार को बढ़ावा देना जारी रखेगा तथा समाज के हाशिए पर और बहिष्कृत वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं तक आसान और न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देना जारी रखेगा. बैंक अपने ग्राहकों को सेवाओं की सहजता और सुविधा बढ़ाकर उन्हें सुचारू और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा. बैंक बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपनी वर्तमान पेशकशों की समीक्षा करता रहेगा. बैंक के पास नीतियों और प्रक्रियाओं की एक मजबूत प्रणाली है, जैसे ग्राहक सेवा नीति, ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति आदि, ताकि ग्राहकों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके, उनकी चिंताओं को समझा जा सके और समय पर समाधान प्रदान किया जा सके.

5.7.2 बैंक ग्राहकों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने तथा उनके साथ हर समय पारदर्शी संचार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

5.7.3 बैंक अपने ग्राहकों के लिए टिकाऊ और दीर्घकालिक मूल्य बनाने के उद्देश्य से सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े उत्पादों की पेशकश करने के लिए अपनी सेवाओं को संरेखित करेगा. बैंक ग्राहकों सहित समाज के सभी पहलुओं पर कॉरपोरेट परिचालन के हानिकारक प्रभावों को कम करने और कम करने के लिए जिम्मेदार प्रणालियों और मानकों के एकीकरण को भी प्रोत्साहित करता है.

5.8 पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन

5.8.1 बैंक अपने परिचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो के माध्यम से) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके भारत के नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करने का प्रयास करेगा. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, बैंक ने अपनी ऊर्जा खपत और परिणामस्वरूप, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पहल लागू की है. इस संबंध में बैंक की पहलों में अपने कार्यालय स्थलों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और उपकरण समाधानों का उपयोग शामिल है. बैंक कचरे का ज़िम्मेदारीपूर्वक और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. बैंक ने अपने कार्यों में जल प्रबंधन के उपाय भी अपनाए हैं, जिनमें पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग शामिल है. बैंक अपने जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यालय/आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू करने पर भी विचार करेगा. अपने दैनिक कार्यों और व्यावसायिक लेन-देन में कागज के उपयोग को कम करने के लिए सचेत प्रयास करते हुए, बैंक विभिन्न आंतरिक और ग्राहक-संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है. बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उसके उत्पाद/सेवाएं और परिचालन गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों और मनुष्यों के लिए हानिकारक न हों और लागू स्थानीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कानूनों/विनियमों के अनुरूप हों. बैंक आधिकारिक प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा.

5.9 विक्रेता/ सेवा प्रदाता

5.9.1 बैंक अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों के अधिक एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखेगा. बैंक अपने विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम

करने का प्रयास करेगा ताकि ईएसजी मापदंडों के तहत अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाया जा सके और इसके लिए उन्हें स्थायी प्रथाओं जैसे अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, राष्ट्रीय और स्थानीय श्रम कानूनों का पालन और बाल, जबरन या तस्करी से लाए गए श्रम सहित मानव अधिकारों की सुरक्षा आदि के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. इस दिशा में, बैंक अपने विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं के लिए स्थायी सोर्सिंग को बढ़ावा देने हेतु यथासमय रूपरेखा/ आचार संहिता विकसित करने का प्रस्ताव करता है.

5.10 सार्वजनिक वकालत

5.10.1 बैंक ईएसजी से संबंधित मामलों पर सरकारों, नीति निर्माताओं, नियामकों, उद्योग निकायों/ व्यापार संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा में भाग लेकर जिम्मेदार और नैतिक तरीके से सार्वजनिक वकालत प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है.सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के अपने वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, बैंक बैंकिंग क्षेत्र में ईएसजी मानदंडों/ दिशानिर्देशों के एकीकरण और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए अपने सार्वजनिक वकालत प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाएगा.

5.11 सामुदायिक विकास

5.11.1 तीव्र सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताओं की दुनिया में, समुदायों की देखभाल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. बैंक अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समुदायों के साथ जुड़ना जारी रखेगा, ताकि लागू कानूनों और दिशानिर्देशों के अनुसार समुदायों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कल्याण के लिए सकारात्मक योगदान दिया जा सके.

5.12 साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा

5.12.1 बैंक ने, अपने साइबर सुरक्षा नीति के मार्गदर्शन में, डेटा सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सुदृढ़ तंत्र की स्थापना की है. बैंक, सूचना सुरक्षा नीति के मार्गदर्शन में, सूचना सुरक्षा के संबंध में गोपनीयता, ईमानदारी और उपलब्धता (सीआईए) के सिद्धांत का अनुपालन करना जारी रखेगा. बैंक में डेटा गोपनीयता और सूचना सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख एक बोर्ड स्तर की समिति करती है.

6) ईएसजी नीति की समीक्षा

6.1 बैंक के लिए लागू भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य कोई सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनतम

IDBI BANK

नीति/ विनियामक निर्देशों/ दिशानिर्देशों को प्रदर्शित करने के लिए बैंक की ईएसजी नीति की समीक्षा वार्षिक आधार या महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर किया जाता है. बैंक, ईएसजी नीति के प्रभाव का मापन और निगरानी कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के माध्यम से करता रहेगा जो ईएसजी प्रकटनों के लिए सेबी द्वारा जारी प्रारूप में वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाएगी.

-*-*-*-

IDBI BANK

परिशिष्ट

संक्षिप्ताक्षर

क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
1.	बीआरएसआर	कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट
2.	सीआईए	गोपनीयता, ईमानदारी और उपलब्धता
3.	सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व
4.	डीएफ़आई	विकास वित्तीय संस्थान
5.	ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन
6.	जीओआई	भारत सरकार
7.	एमसीसीएसआर एंड ईएसजी	सीएसआर की प्रबंधन समिति एवं ईएसजी
8.	एनजीआरबीसी	उत्तरदायी कारोबार आचरण हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश
9.	पॉश अधिनियम	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
10.	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
11.	एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
12.	सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड